

इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए देश के सभी हवाई अड्डों पर अलर्ट और अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. दरअसल, कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया ने यह मान लिया था कि अब वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से अधिक सतर्क और सक्षम हो चुकी है. लेकिन अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस के नए प्रकोप ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि संक्रामक बीमारियों के सामने मानवता की तैयारी अब भी अधूरी है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैल रहे इबोला संक्रमण ने अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. अब तक 670 संदिग्ध मामले और 160 संदिग्ध मौतें सामने आना इस बात का संकेत है कि स्थिति साधारण नहीं है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिस गंभीरता से चेतावनी जारी की है, वह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है. सबसे अधिक चिंता की बात यह

इबोला का नया खतरा और दुनिया की पुरानी भूलें

है कि इस बार फैल रहा ‘बुडिबुग्यों’ स्ट्रेन ऐसा वायरस है, जिसके खिलाफ अभी तक कोई प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. यानी दुनिया एक ऐसे संक्रमण से जुझ रही है, जिसका न तो तय इलाज है और न ही रोकथाम का कोई पुख्ता टीका. यही कारण है कि अफ्रीकी देशों में भय और असुरक्षा का माहौल तेजी से गहराता जा रहा है. इबोला कोई सामान्य बीमारी नहीं है. यह अत्यंत घातक संक्रमण है, जो संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है. संक्रमित वस्तुएं, शवों के संपर्क और असुरक्षित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इसके प्रसार को और तेज कर देती हैं. तेज बुखार, उल्टी, दस्त और आंतरिक रक्तस्राव जैसे लक्षण इसे और भयावह बनाते हैं. ऐसे में यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो यह केवल अफ्रीका

तक सीमित रहने वाला संकट नहीं होगा.

दुखद पहलू यह भी है कि महामारी केवल वायरस से नहीं फैलती, बल्कि लापरवाही, अंधविश्वास और अत्यवस्था भी उसे खतरनाक बना देते हैं. कई क्षेत्रों में लोगों द्वारा इलाज केंद्रों पर हमले और चिकित्सा शिविरों को जलाने जैसे घटनाएं सामने आई हैं. यह स्थिति बताती है कि स्वास्थ्य संकट केवल वैज्ञानिक चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौती भी है. जब जनता का भरोसा टूटता है, तब बीमारी और तेजी से फैलती है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन की यह शिकायत भी उचित है कि दुनिया की प्राथमिकताएं अवसर राजनीतिक और आर्थिक हितों के अनुसार तय होती हैं. विकसित देशों में फैलने वाले वायरस वैश्विक सुरक्षा बन जाते हैं, जबकि अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के संकट को

अपेक्षित गंभीरता नहीं मिलती. कोविड ने यह सिखाया था कि किसी भी देश की बीमारी सीमाओं में कैद नहीं रहती. आज यदि अफ्रीका में संक्रमण फैल रहा है, तो कल उसका असर एशिया और यूरोप तक पहुंच सकता है.

भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश के लिए भी यह चेतावनी महत्वपूर्ण है. अंतरराष्ट्रीय यात्राओं और वैश्विक संपर्क के इस दौर में स्वास्थ्य निगरानी तंत्र को और मजबूत करना होगा. एयरपोर्ट स्क्रीनिंग, संक्रमण जांच, चिकित्सा संसाधनों की तैयारी और जनजागरूकता जैसे कदम समय रहते उठाने होंगे. साथ ही, भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए.

इबोला का यह नया प्रकोप केवल अफ्रीका का संकट नहीं, बल्कि पूरी मानवता की परीक्षा है. यदि दुनिया ने फिर देर की, तो इतिहास एक बार फिर वही सवाल पूछेगा कि क्या हमने महामारी से कोई सबक सीखा भी था?

हिंदी पत्रकारिता के दो साल



हरेंद्र प्रताप सिंह

वर्ष 2026 की इस मई में हिन्दी पत्रकारिता ने दो सौ साल पूरे कर लियेइस अवधि में हिन्दी पत्रकारिता ने तीन सदी की अपनी यात्रा पूरी की.पत्रकारिता से वह मीडिया बन गई.इस दौरान पूरी दुनिया बदल गई.पत्रकारिता का बदलना भी स्वाभाविक है.सप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र उदन्त मार्तण्ड (1826) से लेकर दैनिक द्विभाषी हिन्दी अखबार समाचार सुधावर्षण (1854) तक के युग ने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन (1857) की राष्ट्रीय नौब तैयार की और बहादुर शाह ज़फर को फिर से हिन्दुस्तान का बादशाह बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई. भाषाई समाचार पत्र पयाम-ए-आजादी ने न सिर्फ अपनी पत्रकारिता से आजादी की चिंगारी को भड़काया बल्कि अपने नाम के अनुरूप ब्रिटिश हुकूमत को भारत की आजादी को स्वीकार करने का स्पष्ट संदेश भी दिया. अंग्रेजों ने इस संकेतिक भाषा को समझ लिया और अगले नब्बे साल भारत से शांति से निकलने के लिए मार्ग तलाशने में लगाये. इस दौरान अंग्रेजों ने अनेक भारतीय मार्गदर्शक भी ढूंढने शुरू किये जो उन्हें सुरक्षित निकालने में सहयोग कर सकें. हिन्दी पत्रकारिता में 1857 के बाद भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तक का समय हिन्दी भाषा

हिन्दी पत्रकारिता में 1948 से 1975 का युग देश के विकास और भारतीय लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण को समर्पित था जिसमें हिन्दी पत्रकारिता का प्रोफेशनल विकास सर्वाधिक हुआ .खोजी पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता और वैचारिक पत्रकारिता ने उस छेटी सी अवधि में बड़ी छलांग लगाई तथा हिन्दी पत्रकारिता की गुंज सर्वत्र सुनाई पड़ी. आपातकाल और जेपी आंदोलन ने हिन्दी पत्रकारिता की नैतिकता और गुणवत्ता का कड़ा इम्तिहान लिया जिसमें हिन्दी पत्रकारिता ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. हिन्दी के अनेक पत्रकारों ने जहां लोकतंत्र की रक्षा में जेल की यात्राएं कीं, वहीं इस आंदोलन से निकल कर अनेक छात्र आगे चलकर सफल युवा पत्रकार बनने में सफल रहे .

के विकास तथा वैचारिक पत्रकारिता का युग है.स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण यानि 1947 तक पहुंचते – पहुंचते हिन्दी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय आकार धारण कर लिया और इसमें बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना आजाद, गणेश शंकर विद्यार्थी, भगत सिंह, श्रीप्रकाश, माखनलाल चतुर्वेदी, बालमुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनोप्री, यशपाल, बाबू विष्णु राव पराड़कर जैसे विचारक पत्रकारों तथा क्रांतिकारी पत्रकारों ने अग्रणी भूमिका निभाई.भारत बीसवीं सदी में समय से कुछ पहले ही आजाद हो गया.लेकिन इसकी बड़ी कीमत भारत को विभाजित होकर चुकानी पड़ी.अंग्रेज भारत के अनेक दुकड़े करने में सफल रहे. पहले बर्मा (म्यांमार) और फिर पाकिस्तान बना.फिर तीसरे दुकड़े के रूप में भारत जब आजाद हुआ तो मानसिक रूप से वह अंदर ही अंदर अनेक दुकड़ों में बंटा हुआ था. उधर बड़ी संख्या में देश को भारतीय क्रांतिकारियों की शहादत देनी पड़ी.सबसे बड़ा झटका था

भगत सिंह को फांसी और सुभाष चन्द्र बोस का अचानक वायुयान दुर्घटना में गायब हो जाना.उससे भी बड़ा झटका था देशी नेताओं में सत्ता को लेकर आंतरिक राजनीति और महात्मा गांधी को राजनीतिक रूप से महत्वहीन बना देना. इसलिए 1826 से लेकर 1947 तक की लगभग सवा सौ साल की हिन्दी पत्रकारिता सबसे चुनौतीपूर्ण रही और उसने पत्रकारिता को मिशन के रूप में व्यापक विस्तार दिया और उसी का परिणाम था कि स्वतंत्र संवैधानिक भारत में हिन्दी देश की आधिकारिक राजभाषा बनने में सफल रही.हिन्दी और देश को इस मुकाम तक लाने में हिन्दी के छोटे समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, आकाशवाणी तथा फिल्म एवं साहित्य से जुड़ी हरित्तियों का विशेष योगदान रहा.इस युग में पूर्णकालिक पत्रकार तथा अल्पकालिक पत्रकार दोनों ने मिलकर मिशन की भावना से काम किया. इसमें कोई शक नहीं कि युवा पत्रकारों ने आजादी की लड़ाई में प्रथम पंक्ति से योगदान दिया. भारत में हिन्दी पत्रकारिता के चतुर्दिक विकास का स्वर्णिम युग रहा 1976 से 2000 तक.इस युग

में हिन्दी की प्रिंट मीडिया ने तकनीकी रूप से भी अपना विकास किया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक सशक्त ढांचा तैयार हो गया.कंप्यूटर के आगमन ने समाचार और विचार के प्रसार की गति बढ़ा दी तथा क्षेत्रीय संस्करणों का उदय तेजी से हुआ.पराड़कर की हिन्दी पत्रकारिता राजेन्द्र माथुर और एस. पी. सिंह से होती हुई टेलीविजन में नलिनी सिंह, रजत शर्मा और प्रभु चावला जैसे पत्रकारों के लिए आधार तैयार करने में सफल रही और उसका सर्वश्रेष्ठ रूप इक्कीसवीं सदी में 2001 से 2026 तक दिख रहा है.इसी बीच भारत में आकाशवाणी ने अपनी नब्बे साल की यात्रा सफलता से पूरी कर ली है जिसमें हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में उसकी भूमिका तथा कृषि एवं युवा और सैनिक भाइयों के कार्यक्रमों में उसके योगदान तथा आंखों देखा हाल यानि विभिन्न प्रकार की कमेट्री में उसके कदमनाों की बड़ी संख्या की अन्देखी नहीं की जा सकती है. मूल प्रश्न है कि इतनी शानदार यात्रा के बाद आज हिन्दी पत्रकारिता अपनी तीसरी सदी में कहाँ है और किस हाल में है तथा उसे कहाँ होना चाहिए.सच यह है कि तकनीकी विकास तथा सोशल मीडिया की गलतफहमी वाले जनसंचार के बावजूद आज भी प्रिंट मीडिया सबसे विश्वसनीय है.इसमें फिर से एक बार लघु और मध्यम समाचार पत्रों को भूमिका बढ़ गई है.

(लेखक देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगभग आधी सदी से मीडिया में सक्रिय हैं)

मध्य क्षेत्र की डायरी

मध्यप्रदेश कांग्रेस में राज्यसभा की रेस

अकादमिक राजनीति ‘ बनाम ‘जमीनी सोशल इंजीनियरिंग’

मध्यप्रदेश की राजनीति इस समय एक दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण मोड़ पर है.भारतीय जनता पार्टी



दिलीप झा

की आक्रामक सोशल इंजीनियरिंग और मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव को आगे लाकर खेले गए ‘यादव कार्ड’ ने राज्य के राजनैतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है. ऐसे में विपक्ष की भूमिका निभा रही

है.राहुल गांधी की कोर टीम का अहम हिस्सा रहें नटराजन की निष्ठा उठाया जा सकता. दिल्ली के राजनैतिक गलियारों में उनका अपना एक विशेष प्रभाव जरूर है लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं



कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में किस भेजे? क्या कांग्रेस वैचारिक और ‘ड्रॉइंग रूम’ पृष्ठभूमि वाले नेताओं पर दांव लगाएगी, या फिर जमीनी जनाधार, सामाजिक विरासत और जातीय समीकरणों को प्राथमिकता देगी? हालांकि इस समय कांग्रेस के भीतर दो चेहरों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है. पूर्व सांसद मोनाक्षी नटराजन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव.लेकिन राज्य की मौजूदा जमीनी हकीकत को देखते हुए यह सवाल उठना लाजिमी है कि मध्यप्रदेश कांग्रेस के लिए इस वक्त कौन सा चेहरा अधिक उपयोगी साबित होगा?

मोनाक्षी नटराजन निस्संदेह कांग्रेस को एक बेहद प्रखर, अनुशासित और वैचारिक रूप से मजबूत नेता हैं लेकिन उनके पास जनाधार नहीं

में उनकी पकड़ नहीं बन पाई है परंतु, सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि उनका चुनावी प्रभाव केवल केंद्र में यूपीए सरकार के समय तक सीमित था. पिछले लंबे समय में जमीन पर या अपने क्षेत्र में उनकी कोई ऐसी सक्रियता नहीं रही है, जिससे कि आम जनता उनके नाम पर कांग्रेस को वोट दे. राजनीति में वैचारिक शुद्धता का महत्व है, लेकिन जब मुकाबला भाजपा की आक्रामक मशीनरी से हो, तो केवल ‘ड्रॉइंग रूम’ बैठकों से सीटें नहीं जीती जा सकतीं. मोनाक्षी नटराजन किसी बड़े सामाजिक वर्ग या जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, जिसका राज्य में प्रभावशाली वोट बैंक हो. ऐसे दौर में केवल अकादमिक नेतृत्व पर दांव लगाना कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ भी इस रेस में आगे हैं. गांधी परिवार से उनकी निकटता किसी से छिपी नहीं है. उन्होंने मध्यप्रदेश में 2018 में मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाई थी.

अरुण यादव का वो ऐतिहासिक निर्णय

दूसरी ओर, जब हम अरुण यादव की बात करते हैं, तो उनके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क उनका वो अथक जमीनी संघर्ष है, जिसने मध्यप्रदेश में कांग्रेस को मुत्तप्रायः अवस्था से बाहर निकाला था. अवसर लग भूल जाते हैं कि 2018 में 15 साल बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसकी पटकथा किसने लिखी थी. अरुण यादव ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान 4 साल में करीब 180 विधानसभाओं की सघन पदयात्रा की थी.उन्होंने गाँव-गाँव, बुध-बुध जाकर ‘बुध कमेटियों’ का जमीनी ढांचा तैयार किया था.इसी अभूतपूर्व जमीनी मेहनत का परिणाम था कि 2018 में कांग्रेस सत्ता के शिखर तक पहुँची, जिसका सीधा लाभ तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को मिला। इसके साथ ही, अरुण यादव के पक्ष में कई अन्य अकाट्य तर्क हैं : स्वर्गीय सुभाष यादव की ‘सहकारिता विरासत’ : उनके पूजनীয় पिता (पूर्व उप-मुख्यमंत्री) के मध्यप्रदेश में ‘ सहकारिता आंदोलन ‘ का जनक कहा जाता है .किसानों, दूध उत्पादकों और ग्रामीण समाज का यह भावनात्मक जुड़ाव आज भी अरुण यादव के साथ मजबूती से खड़ा है। अरुण यादव केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित एससी, एसटी, ओबीसी और प्रबुद्ध ब्राह्मण वर्ग में भी उनका जीवंत संपर्क और गहरा आदर है। मालवा-निमाड़ के अलावा बुंदेलखंड, विंध्य और नर्मदापुरम अंचल, मध्य क्षेत्र (ग्वालियर, भोपाल) महाकौशल (जबलपुर सभाग) में भी उनके वफादार कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है। वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को एकजुट रखने और ‘ क्रॉस-वोटिंग ‘ को रोकने की है. यदि कांग्रेस अरुण यादव को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाती है, तो यह खतरा नगण्य हो जाता है।



अब एसआईआर को सारे देश में हरी झंडी

चुनाव आयोग के कदमों को लेकर विपक्ष किन्ती ही आलोचना करे, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को पूरी तरह वैध व सवैधानिक करार दिया है. यह फैसला देश के 16 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाली एसआईआर प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण कानूनी समर्थन है. 14 मई की अधिसूचना के अनुसार अब महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बंडीगढ़, दिल्ली में मतदाता सूची की विशेष रूप से गहरी छानबीन होगी, जिसमें दिवंगत, अच्युत जा बसे तथा डुबलीक्रेट मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 22 वर्ष बाद मतदाता सूची को व्यापक जांच को उचित ठहराया व कहा कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम नहीं किया. इस फैसले में राहत की बात यह है कि किसी की नागरिकता पर संदेह है तो आयोग खुद अंतिम निर्णय नहीं लेगा, बल्कि मामला केंद्र की अश्वीमि्टी को भेजेगा. इसी तरह झुपट रोल से बाहर होना अंतिम डिलीशन नहीं है. इसमें आपति उठाते हुए अपील, सुनवाई व न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है.



बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे. मतदाता सूची में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे. मतदाता सूची में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.

बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत किया किंतु कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि जब नागरिकता का फैसला गृहमंत्रालय को करना है, तो करोड़ों लोगों के नाम चुनाव सूची में जोड़ा जाएगा. एसआईआर में बिहार की मतदाता सूची से 68.66 लाख नाम हटाए गए थे.